

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-2135/2025

माधोलाल मीना

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु
परिवर्तन, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 10.03.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक

प्रत्यर्था विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में वनपाल के पद पर बायोलोजिकल पार्क, उपवन संरक्षक, वन्यजीव जू, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-3) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपवन संरक्षक, मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व, कोटा में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश पिछली तारीख में जारी किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के दो बच्चे हैं, जो अध्ययनरत हैं। अपीलार्थी के स्थानांतरण से उनकी शिक्षा पर विपरीत असर पड़ेगा। अपीलार्थी के पिता वृद्ध है, जो घुटनों के रोग से पीड़ित है, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने से अपीलार्थी को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अतः अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश स्थगित रखा जाए।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 को जारी किया गया है एवं दिनांक 15.01.2025 तक स्थानान्तरण किये जाने की शिथिलता दी गयी थी। अपीलार्थी यह प्रकट नहीं कर पाया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश पिछली तारीख में जारी किया गया है। जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं का संबंध है तो हम इस आधार पर अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम-विरुद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो।
5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)